न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी :– हरभान मीणा, आर.ए.एस

अपील संख्या – 12/2005/75 एलआर एक्ट

1. लाभसिंह पुत्र तेजासिंह (फौत)

1/1 सुखप्रीत कौर पत्नि स्व. श्रवणसिंह पुत्र स्व. लाभसिंह जाति जटसिख निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/2 गुरप्रीत सिंह पुत्र स्व. श्रवणसिंह पुत्र स्व. लाभसिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सुखप्रीत कौर पत्नि स्व. श्रवणसिंह जाति जटसिख निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

1/3 हरशप्रीत सिंह पुत्र स्व. श्रवणसिंह पुत्र स्व. लाभसिंह नाबालिग जरिये कुदरती वली माता सुखप्रीत कौर पत्नि स्व. श्रवणसिंह जाति जटसिख निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

2. चन्दसिंह पुत्र शेरसिंह जाति जटसिख निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. जगजीत सिंह पुत्र गुरदयालसिंह जाति जटसिख निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

––अपीलांटस

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अधिवक्ता हनुमानगढ़।
2. टहलसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति जटसिख निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. मु0सरजीत कौर बेवा जगरूपसिंह जाति जटसिख निवासी श्योदानपुरा तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

–– रेस्पो0

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 06.01.2005 अनवानी सरकार बनाम मुखराम आदि प्र0सं0 33/04 न्यायालय अतिरिक्त जिला कलैक्टर (जागीर) हनुमानगढ़

उपस्थित :–
श्री मनोज अरोड़ा एवं श्री देवीलाल भांभू अधिवक्ता अपीलांट
श्री खुशकरण सिंह खोसा राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 सं. 1

निर्णय दिनांकः–09.11.2017

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि दिनांक 29.09.80 को तहसीलदार टिब्बी ने न्यायालय डिप्टी कलैक्टर जागीर श्रीगंगानगर को रिपोर्ट कि जमीदार मुखराम ने ग्राम श्योदानपुरा खेवट नं. 1 मे 117 बीघा 6 बिस्वा भूमि का विक्रय दिनांक 02.04.56 को लक्ष्मणसिंह आदि को किया है जो जमीदारी एवं बिश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 की धारा 7 के अन्तर्गत बैचान विधि विरूद्ध है इसलिए कार्यवाही करें। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य एवं रिपोर्ट के विपरीत अपीलाधीन आदेश पारित कर भूमि को रिज्यूम किया जाकर कब्जा बहक

सरकार लिये का आदेश पारित किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील पेश की है।

2. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपनी बहस मे कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य तथा जांच रिपोर्ट की अनदेखी करके विधि विरूद्ध पारित किया है। विवादित भूमि का बैयनामा सन् 1956 का है जबकि जमीदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 मे प्रभावित व लागू हुआ है और धारा 7 का उलघन विक्रेता व क्रेताओ ने कतई तौर पर नही किया है। इसलिए प्रकरण मे कार्यवाही समाप्त होनी चाहिए थी। प्रकरण मे सुनवाई एवं दस्तावेज साक्ष्य उपलब्ध होने के बाद तहसीलदार टिब्बी को पुनः जांच हेतु रिमाण्ड किया गया था जिसमे तहसीलदार टिब्बी जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमे तहसीलदार द्वारा जमीदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 की धारा 7 का उलंघन नही होने की तथा क्रेता व विक्रेतागण के सद्भावी काश्तकार होने तथा विवादित भूमि का वर्तमान मे कब्जा काश्त क्रेता के पास होने की तथा उनके वारिसों के पास होने की जांच रिपोर्ट पेश की तथा प्रकरण मे कार्यवाही ड्रोप(समाप्त) किये जाने का अंकन किया। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त रिपोर्ट एवं दस्तावेजी साक्ष्य के विपरीत जाकर अपीलाधीन आदेश पारित किया जो निरस्त योग्य है। अधिवक्ता अपीलांट ने अपीन बहस के समर्थन मे राजस्थान जमीदारी व बिस्वेदारी उन्मूलन 1959 की धारा 7 प्रस्तुत किया। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जावें।

4. राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. सं. 1 ने अपनी बहस मे कथन किया कि प्रकरण मे विधि अनुसार निर्णय पारित करते हुए प्रकरण का निस्तारण किया जावें।

5. उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली का अवलोकन करने एवं बहस सुनने के उपरांत निष्कर्ष है कि तहसीलदार टिब्बी ने न्यायालय डिप्टी कलैक्टर जागीर श्रीगंगानगर को रिपोर्ट कि जमीदार मुखराम ने ग्राम श्योदानपुरा खेवट नं. 1 मे 117 बीघा 6 बिस्वा भूमि का विक्रय दिनांक 02.04.56 को लक्ष्मणसिंह आदि को किया है जो जमीदारी एवं बिश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 की धारा 7 के अन्तर्गत बैचान विधि विरूद्ध है इसलिए कार्यवाही करें। प्रकरण मे अप्रार्थीगण/अपीलांट प्रस्तुत जवाब एवं दस्तावेज के आधार पर तहसीलदार टिब्बी को पुनः जांच हेतु रिमाण्ड किया गया था जिसमे तहसीलदार टिब्बी जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमे तहसीलदार

द्वारा जमीदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 की धारा 7 का उलंघन नही होने की तथा क्रेता व विक्रेतागण के सद्भावी काश्तकार होने तथा विवादित भूमि का वर्तमान मे कब्जा काश्त क्रेता के पास होने की तथा उनके वारिसों के पास होने की जांच रिपोर्ट पेश की तथा प्रकरण मे कार्यवाही ड्रोप(समाप्त) किये जाने का अंकन किया। जिसमे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा यह उल्लेखित करते हुए अपीलाधीन आदेश पारित किया गया कि प्रश्नगत बैचान जमीदारी एवं बिश्वेदारी उन्मूलन अधिनियम 1959 की धारा 7 की अवहेलना मे होने के कारण सद्भावी अन्तरण नही है, की रिपोर्ट तहसीलदार टिब्बी द्वारा प्रस्तुत की गई थी और दिनांक 15.09.2003 को तहसीलदार टिब्बी द्वारा अपनी रिपोर्ट मे उक्त अन्तरण को सद्भावी अन्तरण मानकर धारा 7 की अवहेलना नही होना मानने का कथन किया है जो मानने योग्य नही है। क्योंकि पूर्व मे तहसीलदार टिब्बी द्वारा ही अन्तरण धारा 7 के प्रावधानो की अवहेलना मे होना माना गया है तथा दस्तावेजो से भी यह अन्तरण सद्भावी होना नही पाया जाता है। इसलिए दिनांक 03.04.56 को हुआ अन्तरण असद्भावी होने के कारण विवादित भूमि बहक सरकार रिज्यूम योग्य है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार टिब्बी द्वारा पूर्व रिपोर्ट एवं दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित कर वादग्रस्त भूमि के संबंध मे किये गये अन्तरण को असद्भावी मानकर भूमि बहक सरकर रिज्यूम की गई है। जिसमे बिना किसी औचित्य एवं प्रक्रियात्मक त्रुटि के हस्तक्षेप किया जाना न्यायसंगत नही होने से अपील अपीलांट को सारहीन होने के कारण निरस्त किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः अपील अपीलांट सारहीन होने के कारण निरस्त की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.01.2005 यथावत रखा जाता है। निर्णय की एक प्रति अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 09.11.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(हरभान मीणा) आर..ए.एस
राजस्व अपील अधिकारी
हनुमानगढ